अनवान

लादाराम वगैरा बनाम दुर्गाराम के का0मु0 गिरधारीलाल वगैरा

दिनांक 25—3—2021

पत्रावली मे दिनांक 12—2—2021 को पक्षकारो के अधिवक्ताओ की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय मे रखी हुई है । वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 403/74 मे पारित आदेश दिनांक 2—12—1974 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है । पक्षकारो के अधिवक्ता अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया हुआ है तथा उक्त आदेश की विधिवत अपील निर्धारित समय अवधि 30 दिन मे कलेक्टर के पास प्रस्तुत करने के प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 141 (जे) के तहत प्रस्तुत की जानी चाहिये थी इसलिए अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की नही होने से सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि उक्त अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही है तो उक्त मूल अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया [illegible] वर्तमान अपील सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया हुआ है जिसकी प्रथम अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 141 (जे) के प्रावधान अनुसार एल.आर.ओ. (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये थी जबकि इस न्यायालय मे पेश की गई है, जो इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही होने से अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन के मध्यनजर मूल अपील पत्रावली अपीलांट अधिवक्ता को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती

है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड पुनः लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

R/S
19/4/